

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-338/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/543)

1. लक्ष्मण राम पुत्र प्रभूदयाल, आयु 49 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम खोह, तहसील टहला, जिला अलवर।
2. रोहिताश पुत्र प्रभूदयाल जाति मीना, निवासी ग्राम खोह, तहसील टहला, जिला अलवर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति:-

1. श्री विजय कुमार माथुर एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.02.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के द्वारा एक अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2021 को प्रसारित की गई कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 260 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार भू आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यो एवं शक्तियों के तहत राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत समस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया है तथा भूमि आवंटन करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुसरण में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन करने हेतु आगे की कार्यवाही उपखंड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा अमल में लाई गई तथा नियमानुसार प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 तहत आयोजित किए जाने वाले ग्राम शिविरों की सूची नियमानुसार विधायक महोदय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच को सूचना प्रेषित की गई तथा आवंटित की जाने वाली भूमि की सूची संबंधित पटवारी, पटवार हल्का के द्वारा तैयार की गई तथा जरिए नोटिस कर सूचना पट्ट पर चस्पा कर, व्हाट्सएप के जरिए आवंटन हेतु जनहित की जानकारी में लाया गया, क्षेत्रीय वन अधिकारी, जिला वन अधिकारी को आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा सूचित किया गया।

P.T.O

(2)

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचना दिनांक 18 अगस्त 2021 के अनुसरण शिविर आयोजित किए गए। शिविर में उपस्थित रहने हेतु संबंधित अधिकारियों को एवं जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया, सूचना के मुताबिक शिविर में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित आए। भूमि आवंटन शिविर में अपीलार्थी के द्वारा ग्राम खोह, तहसील टहला के हाल खसरा नंबर 674/0.22 किस्म चाही-1 में से 0.22, खसरा नम्बर 675/0.05 हेक्टेयर किस्म चाही-1 में से 0.05 हैक्टेयर कुल 0.27 हैक्टेयर भूमि को कृषि कार्य हेतु आवंटन करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के आवेदन पर आवंटन सलाहकार समिति ने हल्का पटवारी की पुराने कब्जे की रिपोर्ट देखने के पश्चात् अपीलार्थी के पक्ष में आवंटन करने की सिफारिश की। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के पश्चात् उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा दिनांक 03 मार्च 2022 को आवंटन पत्र क्रमांक: एल. आर/आवंटन/2021-22/3705 राजकीय पड़त भूमि का आवंटन आदेश जारी किया गया तथा उक्त आवंटन आदेश जारी करने के पश्चात् अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण खोला गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आवंटन के 1 वर्ष के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालय जिला कलेक्टर अलवर से एक नोटिस दिनांक 03.02.2023 को प्रेषित किया गया जिसके अंतर्गत 10 दिवस में जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु समय निर्धारित किया गया तथा नोटिस के साथ सूची प्रेषित की गई कि आवंटन के संदर्भ में उपखंड अधिकारी राजगढ़ शिविर प्रभारी के द्वारा निम्न अनियमितताएं की गई हैं। अपीलार्थी के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी आवंटित खसरा नंबर की कृषि भूमि पर काफी समय अपीलार्थी का कब्जा है जिस पर अपीलार्थी द्वारा लगातार फसल काशत की जा रही है। इसमें रबी एवं खरीफ की फसल बोई जा रही है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है किन्तु अपीलार्थी के तथ्यों पर बिना गौर किये ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 के द्वारा उपखंड अधिकारी राजगढ़ पारित आवंटन आदेश दिनांक 03.03.2022 को अपास्त कर दिया गया जो आदेश विधि विरुद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा नोटिस दिनांक 03.02.2023 जिला कलेक्टर कार्यालय से जारी किए गए हैं जबकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर के द्वारा पारित किया गया है जो की नियम विरुद्ध है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर के द्वारा स्वयं प्रेरित संज्ञान लेकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 पारित किया गया है जबकि भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 14 (4) के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर के पास शक्ति नहीं है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि परिपत्र दिनांक 16 दिसंबर 2021 द्वारा प्रसारित राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के तहत कृषि

भूमि आवंटन नियम के कार्य में प्रगति के संबंध में समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि नियमन, आवंटन योग कृषि भूमि के आवंटन, नियम में प्रगति लाई जाए एवं इस दृष्टि से लंबित प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित कराया जाकर शासन को पालना रिपोर्ट भिजवाए जावे, आवंटन अधिकारी ने राजस्थान सरकार के निर्देशों की पालना के तहत नियमानुसार अपीलार्थी को कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई, इसलिए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 अपास्त किए जाने योग्य है। उन्होंने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को आवंटित की गई भूमि आवंटन भू आवंटन नियम 1970 उप नियम 4 के तहत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है एवं आवंटन अधिकारी के द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 5 के तहत अनुपयोगी भूमि की सूची बनाने के पश्चात् कृषि हेतु प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत नियमानुसार आवंटन किए गए हैं और वर्तमान खसरा नंबर की कृषि भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार द्वारा पारित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय से बाधित नहीं है, ग्राम खोह सरिस्का वन क्षेत्र की पेरिफेरी में नहीं आता है तथा भूमि का आवंटन कृषि कार्य हेतु किया गया है। वन विभाग की अनापत्ति, माईनिंग उद्योग, कारखाना इत्यादि को लगाने में जरूरी होती है, कृषि के संदर्भ में नहीं, इसलिए विपक्षी के द्वारा लगाए गए आरोप कि वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त नहीं की गई, इसलिए आवंटन रद्द किया जाना सरासर गलत है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलार्थी का संवत् 2050 से आज तक ग्राम खोह, तहसील टहला के हाल खसरा नंबर 674/0.22 किस्म चाही-1 में से 0.22, खसरा नम्बर 675/0.05 हेक्टेयर किस्म चाही-1 में से 0.05 हेक्टेयर कुल 0.27 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा है तथा लगातार खेती की जा रही है। अपीलार्थी बुजुर्ग एवं भूमिहीन व्यक्ति हैं तथा परिवार में खेती ही एकमात्र सहारा है, घर में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व गुप. 06 द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15 सितंबर 2001 के तहत भू आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में यह संशोधन किया गया है कि किसी अतिचारी को भूमि से बेदखल करने के बजाए उसे ऐसी भूमि आवंटित की जा सकेगी जोकि भू आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में नहीं आती हो। आवंटन अधिकारी ने आवंटित को राजस्थान सरकार के द्वारा जारी प्रपत्र एवं आदेशों में दिए गए दिशा निर्देशों के तहत भूमि आवंटित की है परंतु विपक्षी के द्वारा इस तथ्य पर गौर किए बगैर आवंटन आदेश 03.03.2022 अपास्त किया है जो विधि विरुद्ध होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 निरस्तनीय है। अतः अपील के

समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 को निरस्त फरमाया जाकर उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर द्वारा जारी आवंटन आदेश दिनांक 03.03.2022 को बहाल फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने कथन किया है कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान राजगढ़ उपखण्ड के तहत राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 01.11.2022 के द्वारा एक जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है तथा प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में आवंटन में अनियमितता होने के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंका की गई है तथा प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाईगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विस्तृत जांच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। विलम्ब सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जिससे जाहिर होता है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडों की पालना नहीं की गई, आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका में संधारित है या नहीं, से सम्बन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उदघोषणा जारी होने के पश्चात् तामिल/चस्पानगी के सम्बन्ध में तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नहीं है, आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की सूचना की तामिल कब हुई, इस सम्बन्ध में पत्रावली में तारीख का अंकन नहीं है, ना ही तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है, पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया और बैठक कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है, आवंटन पत्र पर आवंटी के हस्ताक्षर नहीं है, पत्रावली में गंगासहाय ने आवंटन न करने के लिये आवेदन किया किन्तु खसरा नम्बर 674, 675 अपीलार्थीगण को आवंटित किया गया, खसरा नम्बर 671/0.23 को अन्य पत्रावली में किशोर पुत्र

प्रभूदयाल को आवंटन किया जा चुका है एवं उक्त आवंटन के सम्बन्ध में आंतरिक लेखा जांच दल(आय) द्वारा भी उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 के अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा भी की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 पारित किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त आक्षेपों के प्रतिकूल एवं अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत अपीलार्थी की उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2023 को यथावत रखा जाता है।

(असलम शेर खान)

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।